

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

अधीरणा / तालब जाहि धान वनाम वक्रु / मेसा कर्गोरा
मुस्लामान निवासी कामाखर तह (14)

किस्म मुकदमा राजस्थान 53,188 अधि. मुकदमा नम्बर 144 / 2017
RTA-C

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>वृजमोहन उभावत तह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188 RTA-C</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31-1-2018</u> को पेश हो।</p>	
31.1.18	<p>वकील/अपीलोट के वकील श्री <u>वृजमोहन उभावत तह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188 RTA-C</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31-1-2018</u> को पेश हो।</p> <p>19.2.18</p>	
19.2.18	<p>वकील/अपीलोट के वकील श्री <u>वृजमोहन उभावत तह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188 RTA-C</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31-1-2018</u> को पेश हो।</p> <p>23.3.18</p>	<p>356 28-2-18</p>
23.3.18	<p>वकील/अपीलोट के वकील श्री <u>वृजमोहन उभावत तह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188 RTA-C</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31-1-2018</u> को पेश हो।</p> <p>9.4.18</p>	
9.4.18	<p>वकील/अपीलोट के वकील श्री <u>वृजमोहन उभावत तह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188 RTA-C</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31-1-2018</u> को पेश हो।</p> <p>11.4.18</p>	
11.4.18	<p>वकील/अपीलोट के वकील श्री <u>वृजमोहन उभावत तह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188 RTA-C</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31-1-2018</u> को पेश हो।</p>	



14.1.26


पत्रावली पेश हुई।
आदी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तवा हांकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 27-2-26 को पेश हो।

27.2.26

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
केदीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 6.4.26 को पेश हो।

06.04.26

पत्रावली पेश। या कुलाय अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी पेंचकी हेतु न्यायालय समय
में उभयपक्ष व अधिवक्तागण को 2-2-26
आवाजे दी जाने के बावजूद कोई भी
उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में प्रभावी पेंचकी
नहीं होने पर तथा अनुपस्थित रहने पर
उक्त पत्रावली इली रहने पर अदम
हाजरी के अदम पेंचकी में खारिज की
जाती है।
पत्रावली नंबर से कम होकर, दाखिल
रहकर ही।


न्यायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)